संख्या– 1/281383 /XXVIII-3-2025-e file No.79493/2024

प्रेषक,

डॉ० आर राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु०–03 देहरादून, दिनांक: 10 फरवरी, 2025

विषयः–जनहित याचिका संख्या–77/2023 अशोक कुमार शाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश पारित के अनुपालन में बी0डी0पाण्डे, जिला चिकित्सालय, नैनीताल का सुदृढ़ीकरण/निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–7प/1/निर्माण/47/2023/7118 दिनांक 01.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनहित याचिका संख्या–77/2023 अशोक कुमार शाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश पारित के अनुपालन में बी0डी0 पाण्डे, जिला चिकित्सालय, नैनीताल का सुदृढ़ीकरण/निर्माण का आगणन लागत रू. 913.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि NHM योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन की लागत रू. 913.77 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0, नियोजन विभाग के परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी संस्तुत धनराशि रू. 909.84 लाख (रू. नौ करोड़ नौ लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत रू0 363.936 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरसठ लाख तिरानबे हजार छः सौ मात्र) की धनराशि, जो विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन०एच०एम० को समय समय पर उपलब्ध करायी गयी/करायी जाती हैं, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

i. प्रश्नगत कार्य हेतु एन0एच0एम0 की RCH Flexipool & Health System Sthrenghening योजना से रू. 588.66 लाख (वर्ष 2024–25 में रू. 200.00 लाख और 2025–26 में रू. 388.68 लाख) और राज्य सेक्टर की आवासीय भवनों की व्यवस्था योजना मद से रू. 321.16 लाख की धनराशि वहन की जायेगी।
ii. प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथमतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त होने वाली धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त वित्तीय भौतिक प्रगति सहित राज्य सेक्टर से धनराशि की मांग का प्रस्ताव संबंधित वित्तीय वर्ष में पृथक से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
iii. प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में विभागीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 23.09.2024 के क्रम में निर्गत

कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. Reinforcement Steel की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथा बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

v. निर्माण कार्यों में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

vi. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस. कोड के अनुरूप समय–समय पर NABL प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाय।

vii. निर्माण हेतु Electrical Load के सम्बन्ध में सक्षम स्तर की विशेषज्ञ समिति से परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त ही विद्युत भार का निर्धारण किया जाय।

viii. इलैक्ट्रिक आईटम्स जैसे–Switch, Wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pipes Toilet Items, Wood Items आदि कय Market Survey /डी०एस०आर० दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ब्राण्ड नेम निर्धारित कर लिया जाय।

ix. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी विस्तृत आंगणन में धनराशि स्वीकृत की गयी है। धनराशि को पी०एल०ए०/डिपॉजिट खते/बचत खाते/डाक घर में नहीं रखा जायेगा।

x. निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये मदों व उद्देश्यों के कियान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यो की लागत एवं समय में वृद्वि किसी भी दशा में न होने पाय, यह सुनिश्चित किया जाय।

xi. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नही हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय–समय पर कर ली जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

xii. प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि का समायोजन करते हुए तदोपरान्त अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त करने संबंधी कार्यवाही की जाये।

xiii. अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य व आंगणन की लागत की उपयुक्ता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड कार्यालय का होगा।

xiv. धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना से धनावंटन न किया गया हो। Duplicacy की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न करते हुए शासन को भी तत्काल अवगत कराया जाय।

xv. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन संख्या–475/xxvii(7)/2018 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया

जायेगा तथा उक्तानुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुए शत प्रतिशत भौतिक प्रगति व आख्या शासन को समयबद्ध अवश्य प्रस्तुत की जाय।

xvi. प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।

xvii. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 यथासांशोधित, 2019 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xviii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।

xix. कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

xx. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैंकिग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

xxi. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

xxii. विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xxiii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना निर्धारित प्रारूपों पर विभागाध्यक्ष, वित्त विभाग एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

xxiv. आंगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

xxv. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय।

xxvi. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–2/(2006), दिनॉक 30.05.2006 एवं पत्राक संख्या–14910/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25.08.2023 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

xvii. यदि विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि को राजकीय कोष में तत्काल जमा किया जायेगा।

xviii. कार्य के आंगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु महानिदेशक/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेगें।

xxix. कार्य प्रारम्भ से पूर्व प्रस्तावित समस्त कार्य योजना की मृदा परीक्षण व भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय। प्रकियात्मक कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि को विस्तृत आगणन की अनुमोदित धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

xxx. अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना संगत फोटोग्राफ्स सहित यथासमय विभागाध्यक्ष/मिशन निदेशक, संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागीय अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

xxxi. परियोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य की धीमी प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न पार्किंग आफ फण्ड की स्थिति से प्राप्त ब्याज को कार्यदायी संस्था द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा तथा साक्ष्य महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

xxii. धनराशि कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के पश्चात् महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य/मिशन निदेशक, राष्टीय स्वास्थ्य मिशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर भी कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को अनुबन्ध में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाय।

xxiii. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे०आ०–सा०नि०) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

xxiv. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–I/161831/2023 दिनांक 16 अक्टूबर 2023 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xxv. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अद्यतन रंगीन छायाचित्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

xxvi. प्रश्नगत कार्य का आंगणन भविष्य में किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटर जनित संख्या– I/278101 दिनांक 24.02.2025 में प्रदत्त सहमति के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 10-03-2025 12:44:45

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपिः – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 10-03-2025 12:55:39

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।